


13.08.2020 कायदा से



13.08.20

पंजावली पेश हुई। सायल मैगवकील
उपस्थित। न्यूकि वादी द्वारा मूल दावा
खारिज करा लिया है। इसलिए प्रार्थना
पत्र सारहीन होने के कारण खारिज
किया जाता है। पूर्व में जारी हुई
खारिज की जाती है पंजावली दोखले
दफ्तर हो।

~~अधिकारी~~ अधिकारी
(भरतपुर)